राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(श्रम विभाग)
5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या : 170
दिनांक : 21 मार्च, 2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री गुलाब सिंह

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक श्रम विभाग से संबंधित 6861 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 335 शिकायतें अभी भी लंबित है ;	जी नहीं, दिनांक 27.02.2018 तक कुल 6876 शिकायतें श्रम विभाग में पीजीएमएस द्वारा प्राप्त की गयी थीं, जिसमें से दिनांक 27.02.2018 तक 286 शिकायतें लंबित थीं ।
ख	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 17 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है, यदि हां तो इसका कारण क्या है ;	जी हाँ , दिनांक 27.02.2018 तक 26 शिकायतें निर्धारित समय से अधिक लंबित थीं, सभी शिकायतों में श्रम विभाग के भिन्न–भिन्न जिला अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है और प्रबंधक पक्ष को भी सुनने हेतु अवसर प्रदान किये जाते हैं , इस कारण से भी शिकायत के निपटान हेतु कुछ अधिक समय लगता है ।
ग	क्या यह भी सत्य है कि 1580 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब / कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है, यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ;	जी हाँ, ऐसी सभी शिकायतों में शिकायतकर्ताओं को जानकारी / सलाह दी जाती है कि वह जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पर्क करें ताकि उनकी शिकायतों का निवारण श्रम प्रावधानों के अनुसार किया जा सके ।
घ	क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए ;	जी हाँ । इस संबंध में जिले में तैनात सभी श्रम अधिकारियों को मुस्तैदी से समयवद्ध सीमा में कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, शिकायतों का निपटान ऑन लाईन भी किया जाता है ।
ड़	इन शिकायतों का समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं ;	इन शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, इसके अतिरिक्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने स्तर पर इन शिकायतों की निगरानी करते हैं।
च	निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें ;	निवारण के लिए शिकायतें जिन अधिकारियों को अग्रसारित की गयी, उनकी जानकारी पी.जी.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध हैं ।

SANJAY KUMAR SAXENA
Secretary (Labour)

छ	संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें ; और		ये जानकारी भी पी.जी.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
ज	इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा ?		प्रयास किया जाता है कि सभी शिकायतों का निवारण समयवद्ध सीमा में श्रम प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए एवं निपटाने की निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है । शिकायतों का निपटान प्रतिदिन किया जाता है व नयी शिकायतें भी प्रतिदिन प्राप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर

एकसक्सेना

विभागाध्यक्ष
SANJAY KUMAR SAXENA
Secretary (Labour)